मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 37–2/2020/20–3 भोपाल, दिनांक 21/05/2020

//परिपत्र//

राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक/राशिके/आरटीई/2020/422 दिनांक 17.01.2020 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु एनआईसी के आरटीई पोर्टल पर दिनांक 20 जनवरी से 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समय सीमा नियत की गई थी। जिलों की मांग अनुसार उक्त समय सीमा को राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक/राशिके/आरटीई/2020/1528 दिनांक 27.02.2020 द्वारा दिनांक 15.03.2020 तक बढ़ाया गया था। वर्तमान कोविड–19 के संक्रमण के कारण लॉकडाउन अवधि में 31 मई 2020 तक की वृद्धि की गई है।

2/ उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत अशासकीय संस्थाओं को होने वाली कठिनाईयों एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 21 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैः–

1. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के तहत प्रदेश के संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय जिनकी मान्यत दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है, की मान्यता को दिनांक 31 मार्च 2021 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया जाता है।
2. उपर्युक्तानुसार ऐसी समस्त संस्थाओं को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में वर्णित विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक मापदण्डों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. उक्त अनुक्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए नवीन मान्यता हेतु जिन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 अनुसार आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया है, उनका निराकरण नियत विहित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में समय–सारणी आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा पृथक से जारी की जावेगी।

निर्देशानुसार समस्त संबंधितों द्वारा उक्त निर्देशों के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

21.05.20

(के.के.द्विवेदी)
उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग